

नामो सं. 1781



राजस्थान RAJASTHAN



### --: विक्रय-पत्र ::--

हम बाली देवी पत्नि श्री चौथमल, उम्र 70 वर्ष, रामचन्द्र, मूलचन्द्र, महेंद्र, जमन पुत्रान् श्री चौथमल, उम्र 43, 32, 30, 28 वर्ष, शान्ति देवी, बिदामी देवी पुत्रियान् श्री चौथमल, उम्र 47, 40 वर्ष समस्त जाति माली, निवासी ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर का रहने वाला हूँ।

जो कि ग्राम तिगरिया, पटवार हल्का तिगरिया, अन्तर्गत तहसील चौमूँ, जिला जयपुर मे निम्न सारणी अनुसार खातेदारी भूमि स्थित है :-

Three purple ink fingerprints are visible. Below them are several handwritten signatures and names in Hindi, including 'रामचन्द्र', 'महेंद्र', and 'शान्ति देवी'.



9669

05/03/14

पुत्री का वर 1  
होना का नाम 20,000 + 1 20,000 = 40,000

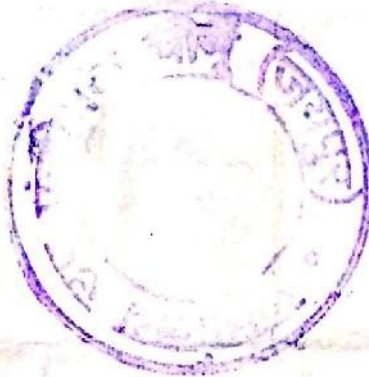
पिता/पति का नाम रामेश्वर प्रसाद

पुत्री का वर का नाम रामेश्वर प्रसाद

मेमोरियल शिक्षा समिति द्वारा जदयम, सिविल  
क्रापाध्यक्ष - तिमरिया

विक्रय पत्र

शक २०७१  
विक्रय स्टाम्प विज्ञापन  
वृद्धीय परिवार बोर्ड (जयपुर)  
वा. नं.-50/05







राजस्थान RAJASTHAN

23352

233525



(2)

सारणी नम्बर 1 (खाता संख्या 255)

| क्र०सं० | खसरा नम्बर | रकबा          | भूमि किश्म |
|---------|------------|---------------|------------|
| 1-      | 2379       | 0.68 हैक्टेयर | चाही 1     |

कुल किता 1 का कुल रकबा 0.68 हैक्टेयर

उपरोक्त उल्लेखित सारणी नम्बर 1 में वर्णित कुल खसरा किता-1 का कुल रकबा 0.68 हैक्टेयर भूमि का हिस्सा 1/2 भाग की खातेदारी हम विक्रेतागण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

Three purple ink smudges are present. Below them are several handwritten signatures and names in Hindi, including 'महेश', 'रामरज', 'सुखदेव', and 'महेश'.



9669

05/03/14

प्राप्त का विवरण

प्राप्त का वृत्त

प्राप्त का नाम

प्राप्त/पति का नाम

प्राप्त का पता

प्राप्त करीब के का नाम तथा सम्बन्ध का

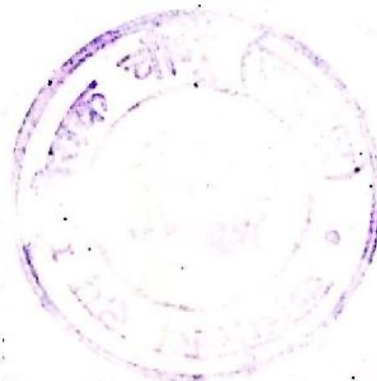
वा. नं.

विशेष पत्र

$$\frac{20,000 + 20,000}{40,000} = \frac{2}{4} = 50,000$$

मैमोरियल शिवा सगिति जरि अस्पष्ट, सं.  
कौबाध्य - तिमरिया

प्राप्त का नाम  
वर्षित स्टाप विवरण  
प्राप्त परिवार गोप्य (कमपुस)  
वा. नं.-50/06



आज दिनांक 5 माह March सन् 2014 को 15:52 बजे  
श्री/श्रीमती/सुश्री BALI DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री CHOTH MAL.  
उम्र 70 वर्ष, जाति MALI व्यवसाय HW  
निवासी TIGRIYA  
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर-प्रस्तुतकर्ता हस्ताक्षर उप पंजीयक, CHOMU  
(2014002995)  
(Sale Deed (Conveyance deed))

रसीद नं० 2014002579 दिनांक 05/03/2014  
पंजीयन शुल्क रु० 10000/-  
प्रतिलिपि शुल्क रु० 300/-  
प्रमाणन शुल्क रु० 0/-  
अन्य शुल्क रु० 4940/-  
कमी स्टाम्प शुल्क रु० 9370/-  
कुल योग रु० 24610/-

(2014002995) उप पंजीयक CHOMU  
(Sale Deed (Conveyance deed))

हस्ताक्षर फोटो अंगूठा

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant)  
1-BALI DEVI/CHOTH MAL  
Age:70, Caste-MALI  
Ocu.-HW  
R/O-TIGRIYA



प्राप्त का नाम

सारणी नम्बर 2 (खाता संख्या 260)

उपरोक्त उल्लेखित सारणी नम्बर 2 में वर्णित कुल खसरा किता-1 का कुल रकबा 0.73 हैक्टेयर भूमि का हिस्सा 1/2 भाग की खातेदारी हम विक्रेतागण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

यह कि हमें अपनी खानगी खर्च एवं अन्य कार्यों की पूर्ति हेतु रूपयों की सख्त आवश्यकता होने के कारण उक्त उल्लेखित सारणी नम्बर 1 में वर्णित कुल खसरा किता-1 का कुल रकबा 0.68 हैक्टेयर भूमि का हिस्सा 1/2 भाग सम्पूर्ण एवं सारणी नम्बर 2 में वर्णित कुल खसरा किता-1 का कुल रकबा 0.73 हैक्टेयर भूमि का हिस्सा 1/2 भाग सम्पूर्ण को मय इसमें स्थित बोल, सोल, डोल वृक्षादि सहित को समस्त स्वत्वों एवं पालिकाना अधिकारों सहित के मुबलिक 10,00,000/- रूपयें अक्षरे दस लाख रूपये के बदले

Handwritten signatures and fingerprints are present on the document.



हस्ताक्षर

फोटो

अंगूठा

2-RAM CHANDRA /CHOTH MAL  
Age:43, Caste-MALI  
Ocu.-AGR  
R/O-TIGRIYA

3-MOOL CHAND /CHOTH MAL  
Age:32, Caste-MALI  
Ocu.-AGR  
R/O-TIGRIYA

4-MAHENDRA /CHOTH MAL  
Age:30, Caste-MALI  
Ocu.-AGR  
R/O-TIGRIYA

5-JAMAN /CHOTH MAL  
Age:28, Caste-MALI  
Ocu.-AGR  
R/O-TIGRIYA

6-SHANTI DEVI /CHOTH MAL  
Age:47, Caste-MALI  
Ocu.-AGR  
R/O-TIGRIYA

7-BIDAMI DEVI /CHOTH MAL  
Age:40, Caste-MALI  
Ocu.-AGR  
R/O-TIGRIYA

( And Claimant )

1-RAMESHWAR PRASAD MEMORIYAL S.SAMITI  
SURENDRA MOHAN /RAM NARAYAN  
Age:0, Caste-AHIR  
Ocu.-BUSI  
R/O-CHAK MANOHARPURA AMER

2-DHARMENDRA YADAV /GOPI RAM  
Age:0, Caste-YADAV  
Ocu.-BUSI  
R/O-MANOHARPURA SHAHPURA

3-MEGHRAJ YADAV /RAMESHWAR PRASAD  
Age:0, Caste-AHIR  
Ocu.-BUSI  
R/O-MANOHARPUR SHAHPURA

ने लेख्यपत्र Sale Deed (Conveyance deed)  
को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।  
प्रतिफल राशी रु0 1000000 /- पूर्व में/मेरे  
समक्ष/मे से रु0 1000000 /-पूर्व में  
यमेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

अमर नारायण

कतई बेचान रमेश्वर प्रसाद मैमोरियल शिक्षा समिति, कालू का बास, पं. तिगरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर पंजीयन क्रमांक-850-जयपुर/2013-14 जरिये अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र मोहन यादव पुत्र श्री रामनारायण यादव, जाति अहीर, निवासी ग्राम चक मनोहरपुर, तहसील आमेर, जिला-जयपुर (राज.) एवं जरिये सचिव श्री धर्मेन्द्र यादव पुत्र श्री गोपीराम यादव, जाति अहीर, निवासी ग्राम मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला-जयपुर (राज.) एवं जरिये कोषाध्यक्ष श्री मेघराज यादव पुत्र स्व. श्री रमेश्वर प्रसाद यादव, जाति अहीर, निवासी ग्राम मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला-जयपुर (राज.) वाले को बेचान कर दिया है एवं बिचौति की राशि 10,00,000/- रुपये अक्षरे दस लाख रुपये का एक चैक संख्या 000036 बैंक ऑफ महाराष्ट्र, शाखा मनोहरपुर का प्राप्त कर लिया है जिन्हे जरिये इस लेख पत्र के नगद प्राप्त करना स्वीकार करता हूँ, एवं विक्रित भूमि का कब्जा मालिकाना क्रेता सोसायटी को वास्तविक रूप से सम्भला दिया है, करा दिया है।

यह कि उक्त उल्लेखित विक्रित भूमि से मुझ विक्रेता व मेरे वारिसान भाई बन्धु गोती, नाती, ऐजेन्ट, सर्वेन्ट नोमिनी आदि का कोई हक सम्बन्ध व अधिकार नहीं रहा है एवं न ही कभी भविष्य में रहेगा।

यह कि उक्त उल्लेखित विक्रित भूमि का क्रेता सोसाइटी अपने स्वयं के नाम से नामान्तरण खुलवाएं, खातेदारी अधिकार प्राप्त करें। क्रेता सोसायटी भूमि को कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरित करवायें, शुल्क जमा करवायें, आवंटन आदेश प्राप्त करें, एवं अपने हिसाब से आवश्यक निर्माण

रामेश्वर प्रसाद  
सुरेन्द्र मोहन यादव  
धर्मेन्द्र यादव  
मेघराज यादव  
रामेश्वर प्रसाद  
सुरेन्द्र मोहन यादव  
धर्मेन्द्र यादव  
मेघराज यादव  
रामेश्वर प्रसाद  
सुरेन्द्र मोहन यादव  
धर्मेन्द्र यादव  
मेघराज यादव



हस्ताक्षर

फोटो

अंगूठा

mDr fu"lknu drkZ dh igpku

1- Jh@Jherh@lqJh LOKESH YADAV

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM NARAYAN उम्र 22 वर्ष

जाति AHIR व्यवसाय AGR

निवासी CHAK MANOHAR PUR

*Lokesh*



2. श्री/श्रीमती/सुश्री DINESH SAINI

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री. MAMRAJ उम्र 40 वर्ष

जाति MALI व्यवसाय AGR

निवासी TIGRIYA ने की है जिनके

*Adi*



समस्त हस्ताक्षर एवं अंगूठा के निशान मेरे समक्ष लिये गये हैं।

(2014002995)

(Sale Deed (Conveyance deed))

उप प्रतीयक, CHOMU

*CHOMU*









धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र  
प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र  
की मालियत रुपये 1000000  
मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक  
राशि 9370 पर कमी पंजीयन शुल्क  
रुपये 10000 कुल रुपये 24610  
जरिये रसीद संख्या 2014002579 दिनांक 05/03/2014  
में जमा किये गये हैं।  
अतः दस्तावेज को रुपये 49370  
के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

(2014002995) उप पंजीयक, CHOMU  
(Sale Deed (Conveyance deed))

आज दिनांक 20/03/2014 को  
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 516  
में पृष्ठ संख्या 21 क्रम संख्या 2014002421 पर  
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त  
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1842  
के पृष्ठ संख्या 191 से 201 पर  
चस्पा किया गया।

(2014002995) उप पंजीयक, CHOMU  
(Sale Deed (Conveyance deed))



(6)

खसरा किता-1 का कुल रकबा 0.73 हैक्टेयर भूमि का हिस्सा 1/2 भाग सम्पूर्ण का बेचान किया गया है। विक्रित भूमि मौके पर चाही है। जो मुख्य रोड से करीब 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

यह है कि इस विक्रय पत्र का समस्त खर्चा क्रेता सोसाइटी ने ही वहन किया है।

अतः यह विक्रय पत्र मैंने अपनी स्वेच्छा से बिना किसी नशे पते के पूर्ण होश हवाश व स्थिर बुद्धि की हालात में निम्न गवाहान के समक्ष सोच, समझ, व पढ़ सुनकर सही मानते हुये 40,000/- रुपये के स्टाम्प कीमती किता दो एव पेपर किता चार पर तहरीर व तकमील करवा दिया है ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत समय पर काम आवे। इति० दिनांक

नोट :- इस विक्रय पत्र की फोटो प्रति अस्पष्ट अथवा अपठनीय होने पर विभाग की जिम्मेदारी नहीं होगी।

हस्ताक्षर गवाहान :-

1- हस्ताक्षर हस्ताक्षर

नाम हस्ताक्षर

पिता का नाम हस्ताक्षर

निवासी हस्ताक्षर

हस्ताक्षर क्रेता सोसायटी जरिये

सचिव/अध्यक्ष/कोषाध्यक्ष:-

हस्ताक्षर हस्ताक्षर

नाम हस्ताक्षर

पिता का नाम हस्ताक्षर

निवासी हस्ताक्षर





कार्यालय, विहित प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी चौमूं जिला जयपुर  
क्रमांक आर.ए./रूपा0/20/76

दिनांक 15/7/2020

**संपरिवर्तन आदेश**

रामेश्वरप्रसाद मेमोरियल शिक्षा समिति कालू का बास के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं:-

|   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम<br>पिता/पति का नाम सहित पूरा पता                                                                                                                                                                                       | रामेश्वरप्रसाद मेमोरियल शिक्षा समिति<br>कालू का बास।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2 | क्या आवेदक अनु0 जाति / अनु0<br>जनजाति का सदस्य है                                                                                                                                                                                                   | नहीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3 | संपरिवर्तित भूमि का ब्योरा<br>(क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील<br>(ख) भूमि का खसरा संख्या एवं प्रत्येक<br>ख0 स0 का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)                                                                                                             | तिगरिया, तिगरिया, चौमूं।<br>ख0 न0 4545/2379 रकबा 0.6632 है0<br>में से 0.6204 है0, ख0 न0 4547/2380<br>रकबा 0.0188 है0 में से 0.0166 है0<br>किता-02 कुल रकबा 0.6370 है0।                                                                                                                                                                                                |
| 4 | (ग) प्रत्येक ख0 स0 के क्षेत्रफल को<br>समदर्शित करते हुए संपरिवर्तित<br>क्षेत्रफल (है0 या वर्गमीटर में)<br>टिप्पणी :- अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित<br>भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नदशे के सुसंगत भाग<br>की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है। | ख0 न0 4545/2379 रकबा 0.6632 है0<br>में से 0.6204 है0, ख0 न0 4547/2380<br>रकबा 0.0188 है0 में से 0.0166 है0<br>किता-02 कुल रकबा 0.6370 है0। अर्थात्<br>(6370 वर्गमी0)                                                                                                                                                                                                  |
| 4 | संपरिवर्तन का प्रयोजन                                                                                                                                                                                                                               | संस्थानिक (शैक्षणिक) प्रयोजनार्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5 | संदेय प्रीमीयम की दर                                                                                                                                                                                                                                | 23.52/- प्र0 वर्गमी0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6 | चालान संख्या, तारीख सहित प्रीमीयम<br>की राशि                                                                                                                                                                                                        | चान. 404 (GRN 37369498) दिनांक<br>03.02.2020 जमा दिनांक 03.02.2020 से<br>रु0 35,000/- 76 (GRN 40829010)<br>दिनांक 14.07.2020 जमा दिनांक 14.07.<br>2020 से रु0 173811/- कुल रु0<br>208811/-                                                                                                                                                                            |
| 7 | चालान संख्या, तारीख सहित शास्ति<br>यदि कोई हो, जमा कराई गई रकम                                                                                                                                                                                      | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8 | चालान संख्या, तारीख सहित ब्याज<br>यदि कोई हो, जमा कराई गई रकम                                                                                                                                                                                       | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9 | क्या आदेश नियमितकरण के लिए<br>नियम 13 के अधीन जारी किया है<br>विशिष्टियां यदि कोई हो                                                                                                                                                                | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                     | 1. ख0 न0 4546/2380 रकबा 0.0012 है0,<br>ख0 न0 4544/2379 रकबा 0.0168 है0 भूमि<br>किस्म गै0 मु0 रास्ता आवेदक के द्वारा<br>निःशुल्क राजहित में रास्ते के लिये समर्पित<br>की गई है।<br>2. ख0 न0 4547/2380 रकबा 0.0022 है0,<br>ख0 न0 4545/2379 रकबा 0.0428 है0<br>किता-2 कुल रकबा 0.0450 है0 भूमि<br>इंडियन रोड कांग्रेस से प्रभावित होने से<br>रूपान्तरण नहीं किया गया है। |



उप खण्ड अधिकारी चौमूं जिला-जयपुर

उप खण्ड अधिकारी चौमूं जिला-जयपुर



11 उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन होगा :-

1. उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से निर्धारित कालावधि 5 वर्ष के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी एवं आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहृत हो जायेगा।
3. नियम 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
4. लोकापयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी अन्य भाग का अन्य किसी प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी के विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
5. राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/अन्य सड़क जहाँ से संपरिवर्तित भूमि पर पहुँच है उसके पास स्थित भूमि का इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार सड़क के मध्य से छोड़ी गई भूमि का अकृषि उपयोग नहीं किया जायेगा।
6. आवेदित भूमि ख0न0 4547/2380 रकबा 0.0022 है0, ख0न0 4545/2379 रकबा 0.0428 है0 किता- 2 कुल रकबा 0.0450 है0 भूमि इंडियन रोड कांग्रेस से प्रभावित भूमि का उपयोग केवल मात्र पहुँच मार्ग में लिया जा सकेगा। उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य व अकृषि उपयोग में नहीं किया जा सकेगा। उक्त भूमि मार्ग अधिकार के काम में आयेगी।
7. आवेदक को जिला स्तरीय समिति से बिल्डिंग प्लान अनुमोदन करवाना होगा।
8. राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प0 6 (6) राज-6/92/पार्ट/23 दिनांक 17.07.2007 की पालना सुनिश्चित की जावेगी।
9. राजस्थान भूराजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजन हेतु सम्परिवर्तन) नियम 2007 एवं इस सम्बन्ध में जारी अन्य परिपत्रों/निर्देशों की सभी शर्तें लागू होंगी।

विहित प्राधिकारी की मोहर



(हिममत सिंह)  
उप खण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर  
चौमू जिला-जयपुर

प्रतिलिपि :-

क्रमांक सम/20/77 - 80

दिनांक 15/6/2020

1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय (राजस्व) जयपुर।
2. तहसीलदार तहसील चौमू।
3. ग्राम पंचायत तिगरिया पंचायत समिति गोविन्दगढ़ जिला जयपुर।
4. आवेदक रामेश्वरप्रसाद मेमोरियल शिक्षा समिति कालू का बास।



(हिममत सिंह)  
उप खण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी चौमू (जयपुर)  
चौमू जिला-जयपुर